फिशरमैन जो गरीब छोटे फिशरमैन हैं, ट्रेडीशनल हैं, मकैनाइज्ड फिशरमैन हैं वे 23 नवंबर से अपना धंधा, रोज़गार बंद करने जा रहे हैं, क्योंकि अपनी सरकार ने ज्वाइंट वेंचर में 130 बड़ी-बड़ी कंपनियों को फिशिंग करने का, डीप से फिशिंग करने का लाइसेंस इश्यू कर दिया है। उनके खिलाफ ये लोग अपनी मांग उठा रहे हैं कि यह जो डीप सी फिशिंग का लाइसेंस दिया है वे लोग समुद्र में नज़दीक आकर, उनको दो सौ किलोमीटर की पार फिशिंग करने का है उसकी वजह यह ज्वाइंट वेंचर के जो लाइसेंस दिए गए हैं वे लोग नज़दीक आकर फिशिंग करते हैं। छोटे-छोटे जो फिशरमैन हैं उनकी बोट का नुकसान करते हैं, बड़ी मात्रा में वे फिश ले जाते हैं और जो छोटे-छोटे फिशरमैन हैं उनको कुछ भी मिलता नहीं है। ऐसा मालूम चल रहा है, 75 लाख लोग इस धंधे में पड़े हुए हैं और जो अभी भी यह मसला आगे बढ़ा तो ये फिशरमैन अपना धंधा छोड़ कर और कोई धंधा उनके पास है नहीं, इसी वजह से ये लोग अपना विरोध, सरकार के पास एक साल से मांग कर रहे है कि जो लाइसेंस उन्हें दिए गए हैं वे लाइसेंस रद्द किए जाएं। मैडम, मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जो जॉइंट वेंचर्स के फिशरमेन यहां आते हैं, वे अपनी बोट पर भारतीय ध्वज लगाते हैं। कई बार पाकिस्तान की बोट पर कच्छ में वह अपना ध्वज लगाकर यहां घुस जाते हैं और वहां से स्मगलिंग होती है। इसलिए मेरी सरकार से यह मांग है कि डीप सी फिशिंग के लिए कोई रेगुलेशन बनना चाहिए। जो लायसेंस उनको दिए गए हैं, वह रद्द किए जाने चाहिए। दूसरे अपने जो गरीब फिशरमेन हैं, उनको कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही है। इसलिए राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की ओर से उनको सुविधा दी जानी चाहिए। उनके कई एसोसिएशंस पिछले एक साल से सरकार के सामने अपनी मांग उठा रहे हैं। उन पर सरकार ध्यान दे वरना 23 नवम्बर से वह अपना काम-धंधा बंद करने जा रहे है। इस संबंध में यह मेरी मांग है।

उपसभापति: श्री भूपेन्द्र सिंह मान। मान साहब, आप जरा संक्षेप में बोलिए, मुझे हाउस एड्जार्न करना है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (उत्तर प्रदेश): **

उपसभापति: अभी एसोसिएशंस मैंने अलाउ नहीं किए हैं Jaiswalji, I am not allowing.

SHRI ANANT RAM JAISWAL: **

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is not the way. I am not allowing. **सर का ध्यान खींच लिया। एक मेंबर ने खींच लिया।** I am not allowing. It is not going on record. It would not go on record. When the Chair sometimes requests Members to be brief, there is some reason. If the Members do not want to oblige, fine, okay. I am sitting have no sense of co-operation at all. मान जी, बोलिए।

Increasing number of land grab cases in Punjab

श्री भूपेन्द्र सिंह मान (नाम निर्देशित):-मैडम, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। मैडम, किसी को उसकी जमीन से कानूनी तौर से तो वंचित किया जा सकता है, लेकिन मजबूर करके उससे ले लेना या किसी दबाव से छीन लेने की कोशिश करना, बहुत गलत बात है और यह रोंगटे खड़े करने वाली बात होती है। मैडम, पंजाब में खडूर साहब में गुरु अंगद देव कॉलेज है। मैडम, गुरु अंगद देव कॉलेज आम लोगों की सभा चलाती है और वहां के मंत्री जोकि खडूर साहब से ही हैं, वे इधर-उधर के कई तरीके अपनाकर, उनका पुलिस के साथ भी तालमेल होता है क्योंकि वे मंत्री हैं, उन्होंने दबाव डलना शुरू कर दिया और ऐसे केस बनाने शुरू कर दिए हैं कि वहां जो स्कूल चलाने वाले प्रमुख हैं, उनके बाबा सेवासिंह को उठाना, हरास करना, फिर टैरिस्टए एक्टिविटी की बात है, उनके जो वैहिकल्स हैं उनको घेर लेना, उनको यह कहना कि इनमें आर्म्स-एम्युनेशन आता है, इस तरह से उनको इतना तंग किया कि आहिस्ता-आहिस्ता "सिटीजंस फार डेमोक्रेसी नाम की दिल्ली में जो संस्था है, उसके मि. एन. डी. पंचौली, मि. जी. एस. चड्ढा और मि. आर. एन. रंगेला-इन तीनों ने वहां जाकर यह फाइंडिंग्स की और इन्होंने यह कहा कि पंजाब में इस वक्त- "If terrorism still exists in Punjab, it seems to be from the side of Punjab police."

तो इस तरह से किसी को दबाव में लाकर उसकी जमीन से वंचित करना, उसकी प्रॉपर्टी से वंचित करना, जिस पर कि वह सोशल काम कर रहे हों, इसे रोका जाना चाहिए। मैडम, यह देश में लॉ-लैसनैस पैदा करता है। फिर अगर यह एक केस ही होता तो भी कुछ और बात है, लेकिन ऐसे कई केस गिने जा सकते हैं। खन्ना के पास नसराली एक गांव है। उस गांव की जमीन है, वहां के ही ऐसे मंत्री हैं और वह ऐसे ही लोगों पर दबाव डालकर कि किसी के खिलाफ झूठा केस बनाकर उस जमीन को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग बहुत दुखी हैं। इस तरह से लोगों में रिएक्शन बहुत खराब होता है कि जिन लोगों को कानून की रक्षा करनी है और पुलिस के साथ मिलकर करनी है, विधान की जिन्होंने सौगंध खायी है कि विधान के ऊपर चलेंगे, विधान का सत्कार करेंगे, वही जब ऐसा करना शुरू कर देते हैं तो लोग किस पर विश्वास करें?

**Not recorded.

इसलिए मैडम, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं पंजाब में, खास तौर से लैंड ग्रैबिंग की पॉलिटिकल इंफ्लुएंस वाले लोग वहां की पुलिस के साथ मिलकर कर रहे हैं, उनको खास फिक्रमंदी से तुरंत बंद किया जाना चाहिए और जो इसमें सहायता कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्सन होना चाहिए। अगर यह कहें कि पुलिस ही उनके खिलाफ एक्सन करें, तो यह नहीं होगा। मुझे लगता है कि यहां से केन्द्र सरकार को ही इस दिशा में कुछ-न-कुछ कदम उठाने चाहिए क्योंकि जो वह कर रहे हैं, अगर उन पर छोड़ा जाए कि वह इंसाफ दें, तो मुझे लगता है कि वहां से यह मुमकिन नहीं होगा। यहां होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, यह देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद अदा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

Need for a separate Chhatisgarh State

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश): महोदया, मैं मध्य प्रदेश में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग को लेकर के आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, विधानसभा किसी भी प्रदेश की जनता का दर्पण होता है और मध्य प्रदेश विधानसभा ने दलगत भावना से ऊपर उठकर मध्य प्रदेश के विशेष क्षेत्र की भाषा, संस्कृति, परंपराओं, कानून-व्यवस्था तथा जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ क्षेत्र को अलग कर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाए जाने का एक संकल्प दिनांक 18 मार्च, 1994 को पारित कर केन्द्र सरकार के पास भेजा है।

महोदया, छत्तीसगढ़ वह क्षेत्र है, जो मध्यप्रदेश का एक तिहाई हिस्सा कवर करता है। यह छत्तीसगढ़ राज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अधिकार हमें हमारे हजारों वर्षों के गौरवपूर्ण इतिहास, संस्कृति, सामाजिक, भौगोलिक और प्राकृतिक परंपराओं ने प्रदान किया है। अपनी इसी संस्कृति, खानपान, रीति-रिवाज, तीज-त्यौहार, उन परंपराओं तथा दूनी भाषाओं के कारण छत्तीसगढ़ की अपनी अलग पहचान है और यह पहचान प्रदेश के अन्य हिस्सों और अंचलों से इसे भिन्न रखती है। ....(समय की घंटी)...

महोदया, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश के लिए दुधारू गाय है। छत्तीगढ़ में विपुल खनिज तथा वन संपदा है। छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश की कुल आय में 60 प्रतिशत योगदान प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ से केन्द्र को जो आय प्रतिवर्ष प्राप्त होती है और जिसका हिस्सा मध्यप्रदेश सरकार को मिलता है उसमें से केवल 4 प्रतिशत छत्तीसगढ़ के विकास पर खर्च होता है। मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ से केन्द्र को जो आय प्राप्त होती है, उसमे केन्द्रीय कर के रूप में 1300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, भिलाई कारखाने से 1100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, कोरबा के कोयले से 975 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष और अल्युमिनियम से 320 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, यानी इस तरह केवल चार मद में 3695 करोड़ रुपए की आमदनी प्रतिवर्ष होती है। इसमें बेलाडीला से और दूसरे खनिजों से होने वाली आय अलग है तथा दक्षिण पूर्व रेलवे जोन को सर्वाधिक आय देने वाले बिलासपुर का उल्लेख इसमें नहीं है। महोदया, यहां तक बेलाडीला का सवाल है, वहां विश्व का सर्वश्रेष्ठ लोहा है। जापान की एक पुस्तक में इस बात का दावा किया गया है कि जापान के पास अगर एक बेलाडीला हो तो वह विश्व का सर्वाधिक समृद्ध राष्ट्र बन सकता है, लेकिन हमारे इसी बस्तर में आज आदिवासी अपनी दो जून की रोटी भी नहीं जुटा पाते।

मैं केन्द्र सरकार से यही मांग करता हूं कि मध्यप्रदेश की विधानसभा ने सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित किया है, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसकी भावना की कद्र करते हुए, केन्द्र जो है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की घोषणा करे। हम केन्द्र सरकार से कोई अलग फंड या राशि नहीं चाहते हैं, छत्तीसगढ़ स्वयं इतना सक्षम है कि उसके पास प्रचुर आय के साधन हैं सिर्फ घोषणा करने की आवश्यकता है। मैं यह इसलिए फिर दोहरा रहा हूं, माननीय गृहमंत्री जी बैठे हुए हैं, इसी सदन में ....(व्यवधान)....

उपसभापति: बस, आपने कह दिया इस सदन में जो आप बोल चुके हैं वह मत दोहराइए। सैयद सिब्ते रज़ी जी।

गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश): तो उन्होंने कहा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनेगा तब विचार करेंगे। मैं यह निवेदन करता हूं, महोदया, कि बिना राज्य पुनर्गठन आयोग के ही हमारे देश में पंजाब से हरियाणा की स्थापना की गई है। जब तक हरियाणा पंजाब में रहा, हरियाणा की तरक्की नहीं हुई और अब इसकी तरक्की हो रही है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से यह निवेदन करूंगा कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की घोषणा शीघ्र करें। धन्यवाद।

Resignation of Vice Chancellor of Delhi University

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Madam Deputy Chairman, through you, I would like to bring to the attention of the Government the acute financial crisis in the Central universities, in particular, and in the other universities, in general.